"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2009—श्रावण 7, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2009

आदेश

क्रमांक एफ 1-7/2002/1-7.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निर्मला सिंह, सेवानिवृत्त, सीनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सामान्य प्रशासन विभाग के यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक एफ-9-1/2004/1-3, दिनांक 28-07-2004 के संलग्न छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के अनुसार व उसमें उल्लेखित शर्तों/प्रावधानों के अधीन विभागीय जांच आयुक्त के पद पर वेतनमान रुपये 18,400-500-22,400 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

2. श्रीमती सिंह को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी.

3. श्रीमती सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, श्री के. के. बाजपेयी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विभागीय जांच आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्रसिंह, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.